न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34/2018 (2018/00047)

श्री भागचन्द पुत्र हेमराज सुवालका जाति कलाल निवासी देवलियाखुर्द जिला अजमेर।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. नाथू पुत्र हरचन्दा जाति बैरवा निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. गीता पत्नि धीसालाल जाति बैरवा निवासी देवलियाखुर्द तह.केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी ढण्ड का रास्ता केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 02.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम देवलियाखुर्द** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
249–177	551/1962	0.45	न.1
	151/2041	0.18	न.1
	165	0.18	न.1
	152	0.40	न.1

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। दिनांक 01.02.2018 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवलियाखुर्द की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 249–177 खसरा नम्बर 551/1962, 151/2041, 165, 152 रकबा कमशः 0.45, 0.18, 0.18, 0.40की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को केम्प कणोज मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner